संख्या-1/1/95-का-4-2003

प्रेषक,

डी0एस0बग्गा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनाँक:: 26 मई, 2003

विषय:- सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-98-सी0एम0/47-का-4-1994-20/1/91, दिनाँक 31 मार्च, 1994, शासनादेश संख्या-75-सी0एम0/47-का-4-95-1/95, दिनाँक 02 मई, 1995, समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 29-7-2000 एवं शासनादेश/ परिपत्र संख्या-532/पी0एस0एम0एस/02, दिनाँक 24 जून, 2002 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) अपरिहार्य परिस्थितियों में, अत्यधिक कार्यहित में, उपर्युक्त शासनादेशों में अंकित प्राविधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों को ही सहमति हेतु कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये सरकारी सेवक को 03 वर्ष से पूर्व पैतृक विभाग में वापस न किया जाय ।

(3) 05 वर्ष के उपरान्त किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति अवधि को आगे न बढ़ाया जाय तथा उक्त अवधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों को उनके पैतृक विभागों को वापस कर दिया जाय ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी0एस0बग्गा)
मुख्य सचिव ।

संख्या-1/1/95(1)-का-4-2003, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।